अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

शंकर सिंह vs गजानन्द

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

2024/52

श्री रूपक शर्मा   श्री हेमराज गुर्जर

. शंकर सिंह बनाम गजानन्द सिंह वगैरह (52/2024)

01.10.24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपस्थित। श्रीरूपक शर्मा एडवोकेट ने फर्द दस्तावेज पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के समक्ष दिनांक 19.04.2024 को मूल वाद संख्या 70/2023 बनवानी गजानन्द बनाम महावीर वगैरह को विड्रो किये जाने से कार्यवाही समाप्त की जाकर, पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम किये जाने के आदेश जा चुके है। फर्द दस्तावजे शामिल पत्रावली हों। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद विड्रो किये जाने पर अपनी सहमति दी। चुंकि उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जो मूल वाद–पत्र के निरतारण हो जाने से सारहीन हो चुकी है।

. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर